डिकरी व रीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 147/2017 ( 223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017/00279
उनवानी :–

1. अजयपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री तोरन सिंह **(विस्तृत उनवान पुष्ट पर अंकित है)**

.....अपीलांट।

बनाम

1. अनूप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह **(विस्तृत उनवान पुष्ट पर अंकित है)**

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 प्रकरण संख्या 28/09 उनवान तोरन सिंह बनाम अनूप कुमार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

यह अपील .....18.....माह.....10.....सन्...2021.....व हमारे .....श्री महाराज सिंह डागुर एड. ... ... मिनजानिब अपीलाण्ट , श्री दिनेश चन्द शर्मा एड. .....रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 यथावत रखें जाते हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....18.....माह.....10.....सन्.....2021.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**भरतपुर**

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवानी :–

1. अजयपाल सिंह उम्र 39 वर्ष
2. महेन्द्र प्रताप उम्र 32 वर्ष
3. दिगम्बर उम्र 28 वर्ष
4. टीकम उम्र 26 वर्ष
5. गौरव उम्र 21 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 श्री तोरन सिंह जाति जाट नि0 नीमदा गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

6. पिंकी उम्र 35 वर्ष
7. रेखा उम्र 30 वर्ष
8. शिवा उम्र 22 वर्ष

} पुत्रीयान स्व0 श्री तोरन सिंह जाति जाट नि0 नीमदा गेट भरतपुर।

9. किरनदेवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व0 सोतरन सिंह जाति जाट निवासी नीमदा गेट भरतपुर।

.....अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

**बनाम**

1. अनूप कुमार
2. मनोज कुमार

} पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी दही वाली गली भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**भरतपुर**

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 147/17 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00279

उनवान

1. अजयपाल सिंह उम्र 39 वर्ष
2. गहेन्द्र प्रताप उम्र 32 वर्ष
3. दिगम्बर उम्र 28 वर्ष
4. टीकम उम्र 26 वर्ष
5. गौरव उम्र 21 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 श्री तोरन सिंह जाति जाट नि0 नीमदा गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

6. पिंकी उम्र 35 वर्ष
7. रेखा उम्र 30 वर्ष
8. शिवा उम्र 22 वर्ष

} पुत्रीयान स्व0 श्री तोरन सिंह जाति जाट नि0 नीमदा गेट भरतपुर।

9. किरनदेवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व0 सोतरन सिंह जाति जाट निवासी नीमदा गेट भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. अनूप कुमार
2. मनोज कुमार

} पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह जाति स्वर्णकार निवासी दही वाली गली भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 प्रकरण संख्या 28/09 उनवान तोरन सिंह बनाम अनूप कुमार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री दिनेश चन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 ।

निर्णय

दिनांक :–18.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट के पिता तोरन सिंह ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 41 रकवा 0.26 वाके ग्राम खडेरा तहसील व जिला भरतपुर का वादी/अपीलांट खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण/रैस्पो0, वादी/अपीलाण्ट के खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते है व आये दिन झगडा फसाद करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 से

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। आराजी खसरा नम्बर 40 मिन/0.07 व 41/0.26 स्थित ग्राम खडेरा तहसील भरतपुर में से खसरा नम्बर 41/0.26 के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं यह आराजी उनके पिता स्व0 तोरन सिंह ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1998 के द्वारा तत्कालीन खातेदार काश्तकार स्व0 यादराम जोगी से क्रय की है। विक्रय पत्र के आधार पर स्व0 तोरन सिंह के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। यह है कि पूर्व में धारा 163 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 04.02.2003 को न्यायालय तहत द्वारा स्वीकृत करने का आदेश दिया था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने दिनांक 23.04.2004 को रिमाण्ड करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय तहत ने फिर से दिनांक 30.10.2006 को एकतरफा में स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट के पिता स्व0 तोरन सिंह ने पुनः न्यायालय तहत में धारा 65 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आदेश दिया उक्त आवेदन को भी दिनांक 28.08.2008 को न्यायालय तहत ने खारिज करने का आदेश दिया है उक्त आदेश दिनांक 28.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 10.08.2011 को निरस्त कर दिया है। जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी है जिसमें यथास्थिति रखे जाने की निषेधाज्ञा जारी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई गलत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि दिनांक 12.06.2017 को अपीलाण्ट के पिता स्व0 तोरन सिंह का निधन हो चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने के कारण भी शून्य है एवं इसी आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया एवं ना ही राजस्व लोक अदालत बाबत् कोई विधिवत सूचना ही दी। दावा अपीलाण्ट स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुआ था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की विषयवस्तु से बाहर जाकर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश देने में कानूनी त्रुटि की है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला इसलिये उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। दिनांक 18.09.2017 को इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा सिवायचक दर्ज करने हेतु बतलाने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात् नकल आदि तैयार करवाकर जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्ररतुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 118, 1988 पेज 143 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

4. विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अतः अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। गुणावगुण पर उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका किसी प्रकार का कब्जा है। इसके अलावा उनका यह कथन सत्य नहीं है कि विवादित आराजी से संबंधित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है अगर कोई प्रकरण विचाराधीन है तो उसकी नकल क्यों पेश नहीं की गयी है। यह है कि साविक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 40 व 41 किता 02 रकवा 5 बीघा 03 विस्वा यादराम पुत्र मोहनलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी का रकवा था जिसको जरिये रजिस्टर्ड वयनामा यादराम ने रैस्पो0 के पिता महेन्द्र सिंह को बेचान कर दिया हाल बंदोबस्त में उक्त साविक नम्बरान से हाल बंदोबस्ती खसरा नम्बर 40 व 41 बनाये गये जिनमें से खसरा नम्बर 40 पर रैस्पो0 के पिताजी के नाम खातेदारी दर्ज की गई तथा खसरा नम्बर 41 पर यादराम पुत्र मोहनलाल के नाम खातेदारी दर्ज की गई उक्त खसरा नम्बर 41 को यादराम ने बंदोबस्त कर्मचारियों से साज कर अपने नाम करवा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2006 को रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार कर खसरा नम्बर 41 को सिवायचक करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट के पिता ने प्रार्थना पत्र धारा 65 के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 22.08.2008 को खारिज हो चुका है। अतः अपीलाण्ट के विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार नहीं रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी अनियमितता अथवा अवैधता से ग्रसित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 31, 2002 पेज 334, 332, 2015 पेज 385 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार हाल खसरा नम्बर 40 मिन व 41 स्थित ग्राम खडैरा को उपजिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 111/04 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम उनवानी महेन्द्र बनाम यादराम वगै0 में दिनांक 30.10.2006 से विवादित आराजी सिवायचक मकबूजा राज घोषित की जा चुकी है। जिसके विरूद्ध रिव्यू संख्या 115/06 भी दिनांक 22.08.2008 को खारिज हो चुकी है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी माननीय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा दिनांक 10.08.2011 से निरस्त की जा चुकी है। अपीलाण्ट उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होना एंव उसमें यथास्थिति रखे जाने की निषेधाज्ञा के आदेश जारी होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त निगरानी के संबंध में अथवा निषेधाज्ञा जारी होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उक्त सभी पूर्व निर्णयो का कोई उल्लेख नहीं किया है। लिहाजा दावा स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया गया है। जब विवादित आराजी निर्णय दिनांक 30.10.2006 से सिवायचक मकबूजा राज घोषित की जा चुकी है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू एवं अपील भी खारिज हो चुकी हैं, तो वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर किस प्रकार कब्जा काश्त माना जा सकता है। बिना कब्जे के दावा अन्तर्गत धारा 188 चलने योग्य नहीं रहता है। दावा

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वादी सिद्ध करे विवादित भूमि पर :-

(अ) उसका स्वत्व है।

(ब) उसका कब्जा है।

(स) उसके कब्जे को चुनौती दी गई है, प्रतिवादी उसे बेदखल करने के प्रयास में है।

आदेश दिनांक 30.10.2006 के पश्चात् वादी के पक्ष में उक्त तीनों ही बिन्दु नहीं रहते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर